न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली (टोंक)

मिसल संख्या – 125 / 2022

निर्णय दिनांक :– 26/5/22

उनवानी प्रार्थना पत्र –

1. कन्हैयालाल पुत्र रामचन्द्र जाति कुमावत निवासी गेरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. बन्नालाल पुत्र नानू जाति गुर्जर निवासी रामथला तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. रामनिवास पुत्र श्रीराम जाति कुमावत निवासी रामथला तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. रामप्यारी पत्नी स्व0 नानू जाति गुर्जर निवासी रामथला तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. श्रवण पुत्र नानू जाति गुर्जर निवासी रामथला तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. सुप्रिया पत्नी स्वप्न कुमार जाति नामशुद्र निवासी रामथला तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थी पक्ष–

बनाम

तहसीलदार देवली जिला टोंक राज0

–अप्रार्थी पक्ष–

प्रार्थना पत्र पत्थरगढी बाबत् अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, प्रार्थी को सुना गया। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार **आराजी खाता संख्या 545 खसरा नम्बर 133 रकबा 0.24 है0** वाके ग्राम रामथला तहसील देवली जिला टोंक, प्रार्थी पक्ष की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही है व पडोसी खातेदारों से सीमा विवाद है, परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार किसी भी पडोसी खातेदार से विवाद नही है।

अतः जमाबंदी संवत् **2073–76** में अंकित **आराजी खाता संख्या 545 खसरा नम्बर 133 रकबा 0.24 है0** वाके ग्राम रामथला तहसील देवली जिला टोंक, की विधिवत् पत्थरगढी की जाने हेतु तहसीलदार देवली को मौका कमीश्नर बनाया जाता है और मौका कमीश्नर फीस 1000/– रू0 निर्धारित की जाकर एतदद्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी कॉस्ट राशि नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क जमाकर उक्तानुसार पालना की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली